कुरुक्षेत्र

OJAANK IAS ACADEMY

SEPT.2022 WWW.OJAANKEDU.COM 8750711100/44

OJAANK IAS ACADEMY

Our Selected Students in IAS 2020

Congratulations to Our Toppers

01 Ranks in Top 10 | **10** Ranks in Top 50 | **26** Ranks in Top 100

RANK 01
SHRUTI SHARMA

RANK 58
FAIZAN AHMED

RANK 96
MINI SHUKLA

RANK 125
MD. MANZAR HUSSAN ANJUM

RANK 133
KISHLAY KUSHWAHA

RANK 176
SHREYA SINGHAL

RANK 203
MOHAMMAD AAQUIB

RANK 270
HARIS SUMAIR

RANK 283
AHMED HASANUZZAMAN CHAUDARY

RANK 389
MOHIBULLAH ANSARI

RANK 447
FAISAL RAZA

हिंदी साहित्य

द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा

प्रख्यात लेखक एवं पूर्व BBC पत्रकार

निबंध मंजूषा McGraw Hill

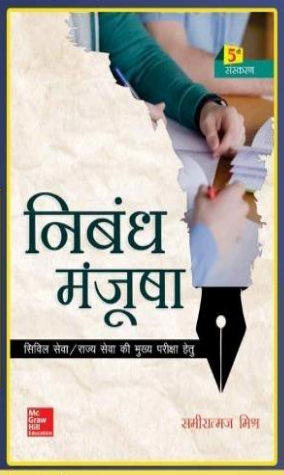

Ojaank Sir

द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा

बम्पर ऑफर

कक्षा कार्यक्रम- ~~45,000~~ 30,000/-

Live/Online Fees- ~~40,000~~

प्रथम 100 छात्रों के लिए 30,000/-

www.ojaankedu.com

Live On ojaankEDU APP

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar, Old Rajinder Nagar, New Delhi.

8750711100/22/33/44
7678528990

1YEAR COMPLETE

YOJANA & Kurukshetra

Discount Fee- ~~2000/-~~ 1500/

Recorded Class

Limited Offer

UPSC CSE 2021-2022
AIR-1 (SHRUTI SHARMA)

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet, Near
Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.

www.ojaankedu.com | Google Play | App Store | 8750711100/22/33/44, 76785 28990

इतिहास

SPECIAL OFFER

वैकल्पिक विषय

निर्देश भारद्वाज सर के द्वारा

Classroom Fees - ~~45,000~~ 30,000/-

Online/ Live - ~~40,000~~ 30,000/-

LIVE ON ojaankEDU APP

ऑनलाइन/कक्षा कार्यक्रम

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar
New Delhi.

www.ojaankedu.com

8750711100/22/33/44, 7678528990

Our Topper (Air-1)
Optional History

SOCIOLOGY OPTIONAL

By Ankur Aggarwal Sir

BUMPER OFFER

FEE Discount For 100 Students

Classroom Fees - ~~45,000~~ 30,000/-

Online/ Live - ~~40,000~~ 30,000/-

Online/Classroom

UPSC CSE 2021-2022
AIR-1(SHRUTI SHARMA)

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweets
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.

8750711100/22/33/44, 7678528990 | www.ojaankedu.com

TARGET UPSC PRELIMS (GS) 2023

एक बार TRY तो बनता है

आज का ऑफर

SCAN THE QR CODE TO PAY

Offer Valid 28-09-22

रात 12 बजे तक

UPSC 2021
AIR-1
SHRUTI SHARMA

₹99/- Only

Online/ Live Bilingual

Batch Start From
15 Nov 2022

www.ojaankedu.com

8750711100/22/33/44, 7678528990

OJAANK IAS ACADEMY

ADVANCE NCERT PRELIMS TEST SERIES

Was ~~2999/-~~ 499/-

OUR TOPPERS

87-50-7-111-00/22/33/44, 76-785-289-90

Website : www.ojaankedu.com

REGISTER NOW

भारत में जनजातीय विकास की रणनीतियां

- भारत में विभिन्न पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में जनजातियों के विकास पर जोर दिया गया है। लेकिन देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के मार्ग में चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण इस समुदाय की पारम्परिक जीवनशैली, दूरदराज के इलाकों में बसावट, बिखरी हुई आबादी और निरंतर विस्थापन है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6 प्रतिशत यानी 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की आबादी का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
- कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है। देश की जनसंख्या में उनका हिस्सा 1961 में 6.9 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया। लेकिन विकास के विभिन्न पैमानों पर देश के अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति कम रही है।

सांविधानिक प्रावधान

- **भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजातियों की विशेष ज़रूरतों को समझते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ खास प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के अलावा इस समुदाय को शोषण से बचाना भी है।**
- **नागरिकों के मौलिक अधिकार उनका समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, संविधान में निरूपित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें नागरिक अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें।**

विकास योजनाएं और कार्यक्रम

- नीति निर्माताओं और योजनाकारों ने पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) की शुरुआत से ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
- पहली योजना में वंचित तबकों की ज़रूरतों को पर्याप्त और समुचित ढंग से पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने से संबंधित सिद्धांत निर्धारित किए गए। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रभावी और सघन अभियान चलाने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान भी किए गए।
- सरकार ने पहली योजना के अंत में देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस और समेकित विकास योजनाओं की ज़रूरत को महसूस किया। परिणामस्वरूप दूसरी योजना (1956-61) के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों को 4 समूहों में बांटा गया जो इस प्रकार थे-

(1) संचार,
(2) शिक्षा और संस्कृति,
(3) जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा
(4) स्वास्थ्य, आवासन और जल आपूर्ति।

- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखा गया। ये कार्यक्रम इस समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं के प्रति सम्मान और समझ पर आधारित थे।
  - पहली योजना में जनजातीय कल्याण के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए गए थे, उन्हें 1961 तक प्रभावी स्वरूप मिल गया।
  - दूसरी योजना के इस आखिरी वर्ष में सरकार ने 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय प्रखंडों की स्थापना की। इन्हें बाद में जनजातीय विकास खंड (टीडीबी) का नाम दिया गया।

COPYING@OJAANKEDU.COM

- अनुसूचित जनजातियों को अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए दूसरी योजना में शामिल योजनाओं और नीतियों को तीसरी योजना (1961-66) में भी जारी रखा गया।
- चौथी योजना (1969-74) में देशवासियों के जीवन स्तर में तेज सुधार का संकल्प जाहिर किया गया ताकि सबके लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1971-72 में आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में छह प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई।
- पांचवीं योजना (1974-78) में विकास कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचाने के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) शुरू की गई। टीएसपी का उद्देश्य सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं था। इसमें इस समुदाय के हितों की कानूनी और प्रशासनिक मदद से रक्षा पर भी ध्यान दिया गया।
- छठी योजना (1980-85) में कोषों का अधिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। साथ ही, अनुसूचित जनजातियों के कम-से-कम 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया।
- सातवीं योजना (1985-90) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए दो राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। इनमें से एक 1987 में गठित जनजातीय सहकारी विपणन महासंघ (ट्राइफेड) है। यह राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए शीर्ष संस्था है।
- अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की शुरुआत की गई। ट्राइफेड अनुसूचित जनजातियों को उनके वन और कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करता है। दूसरी तरफ, एनएसएफडीसी का काम रोजगार सृजन के लिए ऋण की व्यवस्था करना है।
- आठवीं योजना (1992-97) में अनुसूचित जनजातियों के शोषण को खत्म करने के प्रयासों के साथ ही उनके अधिकारों के दमन, भूमि से बेदखली, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होने तथा उन्हें छोटे वन उत्पादों के संग्रह के अधिकार से वंचित किए जाने जैसी समस्याओं के हल पर भी ध्यान दिया गया।
- नौवीं योजना (1997-2002) में ऐसे परिवेश के निर्माण पर ज़ोर दिया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियां अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का स्वतंत्रता से उपयोग करते हुए समाज के बाकी तबकों के समान ही जीवन व्यतीत कर सकें।
- दसवीं योजना (2002-07) में जनजातीय समाज के अनसुलझे मसलों और समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ग्यारहवीं (2007-12) और बारहवीं (2012-17) योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके बाद से भारत सरकार के नीति आयोग के जरिए सालाना योजनाओं में राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास की ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है।

- नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को हर साल अपने कुल योजना आवंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक हिस्सा जनजातीय विकास के उद्देश्य से रखने के लिए अधिकृत किया है।

आजीविका विकास

- योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के सर्वे नतीजों पर आधारित तेंदुलकर पद्धति को अपनाया था। इन अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या गाँवों में 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 24.1 प्रतिशत थी।
- एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति (मूलः सहायक) में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 41.8 प्रतिशत और 2019-20 में 47.1 प्रतिशत थी। सभी वर्गों के लिए यह दर 2017-18 में 36.9 प्रतिशत और 2019-20 में 40.1 प्रतिशत थी।

- एनएसएसओ के पीएलएफएस 2019-20 से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोज़गारी दर 2017-18 में 4.3 प्रतिशत से घट कर 2019-20 में 3.4 प्रतिशत रह गई।

साक्षरता और शिक्षा

- **2011 की जनगणना के अनुसार सभी आयु वर्गों को मिला कर साक्षरता की दर कुल आबादी में 73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में 59 प्रतिशत थी। युवा वर्ग की कुल आबादी और अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दर का अंतर 11.1 प्रतिशत था। यह अंतर युवकों में 7.1 प्रतिशत और युवतियों में 14.7 प्रतिशत का था।**
- **विद्यालय परित्याग दर शैक्षिक विकास के अभाव और शिक्षा के एक खास स्तर तक पहुंचने में किसी सामाजिक समूह की अक्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विद्यालय परित्याग दर में कमी आ रही है।**
- **अनुसूचित जनजातियों के लिए खासतौर से आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इनमें इस समुदाय के छात्रों के भोजन और आवास का खर्च सरकार वहन करती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन योजना और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।**
- **शिक्षा संवर्धन अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में साक्षरता का प्रसार है। दूरदराज के गाँवों के निवासी और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।**
- **वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जनजातियों के लडकों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना शुरू की गई। जनजातीय उप-योजना के क्षेत्रों में 1990-91 से आदिवासी विद्यालयों की स्थापना शुरू की गई।**
- **सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत कोष के एक अंश का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस धन का प्रयोग 20 राज्यों में छठी से बारहवीं तक कक्षाओं के लिए 288 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना पर किया जाना था।**
- **वर्ष 1997-98 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्चतर और पेशेवर शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की उच्चस्तरीय नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा पाने के लायक बनाना था।**
- **संशोधित कार्यक्रम को 12 सितंबर, 2019 को शुरू किए जाने के समय तक 200 ईएमआरएस काम करने लगे थे। सरकार ने संशोधित योजना के तहत ईएमआरएस की स्थापना के लिए देश में 452 प्रखंडों की पहचान की है।**
- **सरकार ने 740 ईएमआरएस खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा समय में देश भर में 378 ईएमआरएस चल रहे हैं। इनमें से 205 विद्यालयों का संचालन पिछले पांच वर्षों (2017-22) के दौरान शुरू हुआ है।**

उद्यमिता और कौशल विकास

- साक्षरता और शिक्षा में प्रगति के साथ ही उद्यमिता के माहौल और कौशल विकास की पहल कदमियों की भी दरकार है ताकि अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों को अपने निवास स्थान के नज़दीक ही समुचित रोजगार मिल सके।
- कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया मिशन के तहत इस दिशा में कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के ज़रिए अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में जनजातीय समुदाय समेत समाज के सभी तबकों के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ज़रिए दीर्घकालिक कौशल उपलब्ध कराया जाता है।

आदिवासियों के लिए सतत आजीविका

- आदिवासी भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.6 प्रतिशत था और 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 8.66 प्रतिशत हो गई।
- भारत में आदिवासी समुदाय दो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बसे हैं यानी मध्य भारत और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी मध्य भारत, यानी मध्य प्रदेश (14.69 प्रतिशत), महाराष्ट्र (10.08 प्रतिशत), उड़ीसा (9.2 प्रतिशत), राजस्थान (8.86 प्रतिशत), गुजरात (8.55 प्रतिशत), झारखंड (8.29 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (7.5 प्रतिशत) में बसी है। उनमें से लगभग 89.97 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- आदिवासी समुदायों का एक बड़ा भाग अभी भी अपनी आजीविका के लिए छोटे पैमाने की खेती, जंगल और वन आधारित पशुधन पर निर्भर है, कुछ विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूह, जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता था, वे जंगल और वन तथा पर्वतीय क्षेत्रों की परिधि में शिकारी, भोजन संग्रहकर्ता, चरवाहे और छोटे किसानों के रूप में रहते हैं।
- पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय झूम खेती के आदी हो चुके हैं; एक ऐसी पद्धति जो समग्र रूप से मिट्टी, क्षेत्र और वन पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है।
- वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अध्यादेश, विकास परियोजनाओं के लिए पहल और बाद की सरकारों की आर्थिक विकास नीतियों में बदलाव का आदिवासियों के लिए आजीविका के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

स्वतंत्रता-पूर्व स्थिति

- मानव जाति के विकास के बाद से मनुष्य शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता थे। अनेक समुदाय बस गए और सभ्य तथा सम्मानजनक जीवन जीने लगे पर आदिवासियों ने अपने जीवन और आजीविका को वन और वन-आधारित पशुधन तक सीमित कर दिया।
- मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भारत पर आक्रमण से पहले आदिवासियों को समाज का समान भाग माना जाता था और वे पूरी तरह से राजशाहियों, भूमि और वन राजनीति में, अन्य समूहों के साथ सहायक संबंधों में, विशेष रूप से व्यावसायिक विशेषज्ञता और वाणिज्य व युद्ध में भी शामिल थे।
- यूरोपीय उपनिवेश युग ने बाहरी लोगों के साथ उनके जीवन को बदल दिया जिन्होंने अपने संसाधनों के लिए उनका शोषण किया। ईमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा गया।
- वनभूमि का उपयोग चाय, रबर और कॉफी के बागानों के लिए किया जाता था। वन क्षेत्रों में रेलवे लाइन और सड़कों का निर्माण किया गया। माल के परिवहन के लिए जंगल से समुद्री तटों तक के मार्ग बनाए गए।
- निजी संपत्ति की अवधारणा 1793 में अंग्रेजों की स्थायी बसावट और 'जमींदारी प्रणाली की स्थापना के साथ शुरू हुई जिसने अंग्रेजों द्वारा राजस्व की उगाही के उद्देश्य से सामंती जमींदारों को आदिवासी क्षेत्रों सहित विशाल क्षेत्रों का नियंत्रण प्रदान किया।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि, जो निजी स्वामित्व में नहीं थी, उसे आरक्षित क्षेत्रों के रूप में चिहित किया जा सकता था।
- भारत में वनों और बड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए कोई विशेष प्रणाली या निपटान अधिकार नहीं बनाए गए थे और इसके लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- कृषि में संलग्न आदिवासी लोग बिना आधिकारिक भूमि स्वामित्व के खेती करते रहे। इस प्रणाली के तहत आदिवासियों और गैर-आदिवासियों द्वारा समान रूप से वृक्षों की कटाई, शिकार, चारागाह खोजने या कृषि की प्रथा ने अतिक्रमण को बढ़ावा दिया।

COPYING@OJAANK.COM

स्वतंत्रता उपरांत स्थिति

- भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और समग्र विकास के लिए कई प्रावधान किए हैं। 1952 में तत्कालीन सरकार की पंचशील नीति ने आदिवासी कल्याण हेतु प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत तय किए हैं जो निम्नलिखित हैं:
  - आदिवासियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार विकास करने देना चाहिए। भूमि और जंगल में आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
  - बहुत से बाहरी लोगों को शामिल किए बिना जनजातीय टीमों को प्रशासन और विकास के कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
  - आदिवासी क्षेत्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के विरुद्ध जाए बिना जनजातीय विकास किया जाना चाहिए।

आजीविका और अन्य प्रासंगिक मुद्दे

- संविधान के पंचशील अनुच्छेद 275 को साकार करने में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए एक विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
- इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। यह स्थिर कृषि जीवन या सीढ़ीदार खेती और समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि के उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए था।
- आदिवासी विकास के लिए लगभग 47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राज्यों को लगभग 36,600 एकड़ भूमि के विकास, 6,570 एकड़ वन भूमि के पुनरुज्जीवन, कृषि उपकरणों और अच्छी नस्ल के सांडों का वितरण, लगभग 4,000 व्यक्तियों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण और 825 कुटीर उद्योग केंद्रों की स्थापना के लिए भी सहायता दी गई।

आदिवासी जीवन में वन और वनोपज का महत्व

- भारत का आदिवासी या जनजातीय समाज सबसे कठिन और जटिल इलाकों में निवास करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उनकी आबादी 10.45 करोड़ से अधिक थी। जनजातियों की 89.97 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचलों और 10.03 प्रतिशत शहरों में निवास करती है।
- विविधताओं भरे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश की जनजातीय आबादी का 12 प्रतिशत हिस्सा रहता है। पिछली जनगणनाओं से तुलना करें तो समग्र रूप में जनजातीय आबादी बढ़ रही है। 1971 में वह देश की आबादी का 6.9 प्रतिशत थी जो 1991 में 8.1 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 8.6 प्रतिशत हो गई।
- जनजातीय समुदाय देश के 15 प्रतिशत भूभाग में अलग पारिस्थितिकीय और भू-जलवायु के बीच मैदानी क्षेत्रों से लेकर सघन वन, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में निवास करता है। उनकी अलग-अलग संस्कृति, स्वशासन प्रणाली और जीवन पद्धति है। उनकी मौजूदगी 27 राज्यों में 307 जिलों में है।
- देश के 39 जिले जनजातीय-बहुल हैं। देश के सबसे निर्धन 20 जिले आदिवासी बहुल हैं। 2011 की जनगणना में पाया गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी परिवारों के पास रेडियो, टीवी, साईकिल या मोटर साइकिल या फोन जैसी वस्तु भी नहीं थी। वे कच्चे घरों या घासफूस की झोपड़ियों में रहते थे। साफ पीने के पानी की सुविधा भी नहीं थी। हालांकि बीते दशकों के सतत प्रयासों से तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है, फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
- आजादी के बाद संविधान बनने के दौरान आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया। संविधान में आदिवासी, आदिम जनजातियों, वनवासियों या वन्य जातियों के स्थान पर इसी शब्द का उपयोग किया गया। अंग्रेज़ी में आदिवासी के लिए प्रचलित ट्राइब शब्द लैटिन भाषा के ट्राईब्स से बना है, जिसका अर्थ है गरीब या विपन्न।
- भारत में आदिवासी समाज भले ही भौतिक सुविधाओं में पीछे रहा हो लेकिन वह समृद्ध विरासत का अधिकारी और मूल निवासी रहा है। प्रकृति की गोद में रहते हुए उन्होंने इतिहास के लंबे कालखंडों में अपना मूलभूत कौशल, सादगी और संतोष की पूंजी को बनाए रखा।

COPYING@OJAANK.COM

- आर्थिक तौर पर वे कमज़ोर भले रहे हों लेकिन तमाम सोपानों पर वे सभ्य समाज से काफी आगे हैं। जनजातीय हस्तकला, संगीत और नृत्य की जो धरोहर उन्होंने संजों कर रखी है, वह बताती है कि वे बाकियों से कितना आगे हैं।
- बेहद दुर्गम और जटिल जंगली इलाकों में जनजातीय बालिकाएं और महिलाएं महानगरों से अधिक सुरक्षित हैं। उनके पास विराट औषधीय सम्पदा और परम्परागत ज्ञान भी है।
- अन्य समुदायों की तुलना में आजीविका के लिए वे कड़ा संघर्ष करते हैं। जंगलों के बीच उनकी बड़ी आबादी रहती है। इस लिए उनके जीवन में जंगल ही सबसे अहम हैं। आदिवासियों में अधिकतर की आजीविका वन आधारित और खेतीबाड़ी पर निर्भर है।
- देश में 75 कमज़ोर या आदिम जनजातीय समूह कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अंग्रेजी राज में इनकी स्थिति अलग थी लेकिन आज़ादी के बाद संविधान में इनको विशेष संरक्षण दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसी जनजातियों या समुदायों से है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता दी गई है। देश में अधिसूचित जनजातियों की संख्या 705 है।
- सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के मद्देनज़र इनको शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण प्रदान किया गया है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया।
- अनुसूचित जनजातियों को दनाधिकार अधिनियम 2006, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पैसा अधिनियम 1996 से उनको संरक्षित किया गया है।

आदिवासी जीवन में वनों का महत्व

- देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत वन है और यही आदिवासी जीवन का आधार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताविक पिछली दार की तुलना में वनों में बढ़ोत्तरी हुई है।
- क्षेत्रफल के हिसाब से, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र की वारी आती हैं।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में पूर्वोत्तर भारत के मिज़ोरम (84.53 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (79.33 प्रतिशत), मेघालय (76 प्रतिशत), मणिपुर (74.34 प्रतिशत) और नगालैंड (73.90 प्रतिशत) आते हैं। जहां वन हैं, वहां जनजातीय समुदाय के लोग रहते ही हैं।
- वनों का मानव समाज के विकास में बहुत महत्व आदिकाल से रहा है। लेकिन औपनिवेशिक काल में बने कानूनों ने आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल किया और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया।
- 1927 के वन अधिनियम के बनने के बाद वे सबसे अधिक प्रताड़ित रहे क्योंकि यह धारणा बनायी गई कि वे ही जंगलों की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। वस्तुतः यह एकदम गलत तथ्य था लेकिन इसकी आड़ में उनका सबसे अधिक उत्पीड़न हुआ।
- उद्योग, खनन, बड़े बांधों और तमाम परियोजनाओं के लिए उनकी बहुत बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ा। इस कारण असंतोष और संघर्ष बढ़ा।
- नक्सलवादियों ने भोले-भाले आदिवासियों में जगह बनायी और लाल गलियारा खड़ा कर काफी अविश्वास पैदा किया, जिससे निपटने में भारी समय, श्रम और धन लगा।

वनाधिकार कानून और वनवासी समाज

- आदिवासी जीवन में खासतौर पर वनाधिकार कानून लागू होने के बाद काफी बदलाव नज़र आने लगा है। वनाधिकार कानून या एफआरए के नाम से चर्चित इस कानून का असली नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

- इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी होती है और स्कीम के बारे में जागरूकता का अभाव है। आदिवासी औसतन 2.7 किमी. दूरी तय करके लघु वनोपज का संग्रह करते हैं। हाट बाजार तक इनको पहुँचाने में परिवहन सुविधाओं का अभाव है।
- हाल में नीति आयोग ने इस योजना का मूल्यांकन कर इसे और बेहतर बनाने तथा संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता के और प्रसार की ज़रूरत आंकी है।
- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वनाधिकार कानून लागू होने के बाद इसके अब तक के प्रभावों पर राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की मदद से जो अध्ययन कराए हैं।
- जनजातियों की आय में बढ़ोत्तरी के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में महिला अधिकार पत्र धारक है जिस कारण महिलाओं को और सशक्त बनने का मौका मिला। ग्राम सभाओं की आय में भी वृद्धि हुई है।
- वनाधिकार कानून से जनजातियों को और सक्षम बनाने में मदद मिली है। कानून में लघु वन उत्पादों के संग्रह, इस्तेमाल और विक्री के लिए स्वामित्व, पहुँच के अधिकार को मान्यता मिलने से उनका उत्पीड़न रुका और स्थायी आजीविका का सम्मानजनक अवसर मिला।

आदिवासी जीवन में लघु वनोपज और एमएसपी पर खरीद

- जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन सबसे खास है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र और उसके लिए मूल्य शृंखला का विकास तथा इसके लिए संस्थागत सहायता जैसी दो योजनाओं का मिशन के तहत अब विलय कर दिया गया है।
- समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपज या एमएसपी की खरीद योजना 87 लघु वनोपजो पर लागू है। राज्य एजेंसियों की मदद से एमएसपी पर खरीद होती है।
- वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने एमएसपी पर लघु वनोपजों की खरीद के लिए 18 राज्य सरकारों को 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की। अधिक खरीद वाले अन्य राज्यो में ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है।
- यह योजना 2013-14 में आरंभ हुई थी तब इसकी परिधि में 10 लघु वनोपज थे। लेकिन पिछले आठ सालों में योजना की परिधि में 87 लघु वनोपजों तक कर लाया गया है। पहले इमली पर जंगली शहद, गोंद, करंज के बीज, साल बीज, महुआ बीज, साल के पत्ते, बीज सहित चिरौंजी की फली, हरीकिका, रंगिनी ताड और कुसुमी लाख एमएसपी के दायरे में थे।
- बाद में न के बीज, बहेडा, सूखी शिकाकाई की फली, नागरमोथा, शदादरी की जड़, गुग्गल, महुआ के सूखे फूल, तेजपत्ता, जामुन के सूट दीज, सूखा रीठा, अर्जुन छाल, गिलोय, मकोय, वन जीरा मन्त्र इमली का बीज, हर्र, बहेड़ा, बीज लाख, सुपारी, काला बदल सरसों, कच्चा काजू, सूखा अदरक, अखरोट, हाथी सेव सदा, गोखरू जंगली मशरूम आदि इसमें शामिल हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार एमएसपी मांग आधारित कार्यक्रम है लिहाजा धनराशि का आवंटन राज्यों के प्रस्तावों पर आधारित होता है। इस योजना के तहत सरकार ने अब सीधे ट्राइफेड को ही राज्यों को धन जारी करने के लिए अधिकृत किया है, जो इस मामले में सीधे राज्य सरकारों के संवाद में रहती है।
- लघु वनोपजों का संग्रह बहुत सरल काम नहीं है। आदिवासी अपने परिवार जनों के साथ जंगलों में लंबी दूरी तय कर लघु वनोपजों का संग्रह करते हैं, उनको सुखाते हैं और फिर दूर दराज के हाट-बाजारों में बेच कर अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। आदिवासी हाट बाजारों में वस्तु विनिमय अभी भी चलता है। वहां बिचौलियों और भ्रष्ट व्यापारियों के द्वारा भोले-भाले आदिवासियों का भारी शोषण होता है।
- देश के विभिन्न हिस्सों में करीब पांच हजार से अधिक आदिवासी हाट बाज़ार हैं, जहां सालाना करीब दो लाख करोड़ रुपये का कारोबार होता है। हालांकि इसमें से सीमित धन ही आदिवासियों के हाथ आता है। फिर भी इस नई एमएसपी योजना से तात्कालिक फायदा यह

COPYING@OJAANK.COM

हुआ है बिचौलियों को बढ़े दाम पर कई उत्पाद खरीदने पड़ रहे हैं जिसका फायदा आदिवासियों को हो रहा है। पहले वे कौड़ियों के दाम में सामान खरीदते थे और उपभोक्ताओं को कई गुना अधिक दामों पर बेचते थे।

- अनाज के मामले में बड़ी कृषि मंडियों का बड़ा तंत्र है। लेकिन सबसे जटिल और कठिन इलाकों में बिखरे आदिवासी हाट बाजारों में अधिकतर साप्ताहिक लगते हैं, जहां न गोदाम हैं न प्रोसेसिंग सुविधाएं।

आदिवासी किसानों की समस्या

- आदिवासियों की बड़ी आवादी कृषक और कृषि मज़दूर है। मनरेगा से उनकी जीवन की दिक्कतें कम हुई लेकिन खेती की दशा कमज़ोर है। सीमित सिंचाई के साथ पिछड़े साधन होने से औसत उत्पादता बहुत कम है। उनके तिलहन, दलहन और जैदिक मसालों को उचित दाम नहीं मिल पाता।
- संसद की महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2015-16) ने "जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण' विषय पर पड़ताल में अन्य बातों के साथ यह बात खासतौर पर रेखांकित की है कि हाल के सालों में जनजातीय महिलाओं ने खुद को कृषि कार्यों के अलावा पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बागवानी और पुष्प कृषि से जोड़ा है, लेकिन कृषि की अनिश्चित प्रवृत्ति और बाज़ार के उतार-चढ़ाव के कारण खेती से उनका मोह भंग हो रहा है। फिर भी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर और कई इलाकों में बदलाव की प्रेरक कहानियां उभर रही हैं। मनरेगा से 100 की जगह 150 दिनों का रोज़गार मिलने से आदिवासी समाज और खासतौर पर महिलाएं अधिक सशक्त हुई हैं।

वन धन योजना

- **वन धन योजना प्रधानमंत्री जनजातीय विकास निशन के तहत ट्राइफेड के माध्यम से कार्यान्वित हो रहे प्रमुख कार्यक्रमों में है। वन धन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक व्यापक पहल है जिसके तहत प्रशिक्षण, कच्चे माल के वैज्ञानिक तरीके से एकत्रीकरण, प्राथमिक स्तर पर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन जैसे तत्व समाहित हैं।**
- **2019 में वनधन कार्यक्रम में संशोधन किया गया। इसके तहत ग्राम स्तर के प्राधमिक स्वयं सहायता समूहों का नामकरण वन धन स्वयं सहायता समूह किया गया। इसका गठन 20 ऐसे आदिवासी मिलकर कर सकते है, जो लघु वनोपजों के संग्रह, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन में लगे हैं। 15 ऐसे केंद्रों से एक वन धन विकास केंद्र गठित होगा, जिसमें 300 सदस्य होंगे।**
- **इस योजना की शुरुआत से अब तक ट्राइफेड ने 52.976 वन धन स्वयं सहायता समूहों और 3110 वन धन विकास केंद्रों का मंजूरी दी है। राज्यों को 46,143.15 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के सीधे लाभार्थी 9.27.927 लाख आदिवासी हैं।**
- **दोनों योजनाओं में केंद्र सरकार प्रशिक्षण, जागरूकता प्रसार, कच्चा माल और टूल किट आदि के लिए धन उपलब्ध कराती है। जबकि राज्य सरकारें केंद्रों की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि और भवन उपलब्ध कराती हैं।**
- **वन धन कार्यक्रम को और सार्थक बनाने के लिए इसके प्रशिक्षण में कुछ बदलाव किया गया है ताकि आदिवासियों को सतत आजीविका और आय का स्थायी स्रोत मिल सके। मूल्यवर्धन से जनजातीय उत्पादों को बेहतर मूल्य मिलता है।**
- **इस कार्यक्रम की विशेषता यह भी है कि यह बाज़ार से संबंध स्थापित करने में सफल रहा है। कई उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसको आज ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर ट्राइफेड छत्तीसगढ़ में जगदलपुर और महाराष्ट्र में रायगढ़ में दो ट्राईफूड परियोजनाओं को लागू कर रहा है।**
- **वहां जामुन कस्टर्ड, महुआ ड्रिंक, आंवला जूस की प्रोसेसिंग होगी और जल्दी इनका उत्पादन आरंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों की साझेदारी में लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना की दिशा में भी कदम उठे है।**

ट्राईफेड की बढ़ती भूमिका

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) बीते दशकों में आदिवासियों के जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था बन कर उभरी है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी।
- विख्यात खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम को ट्राइब्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसेडर बनाया है। सरकारी संस्थागत खरीद को बढ़ावा देने के लिए वह अपने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के माध्यम से जनजातीय वस्त्र, ज्वैलरी, पेंटिंग, धातु शिल्प, पोटरी उत्पाद, बेंत और बांस उत्पाद, प्राकृतिक और जैविक खाद्य उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में लगा है।
- ट्राइफंड के पास 119 आउटलेट्स का नेटवर्क है, जहां जनजातीय उत्पादों की बिक्री होती है। वर्ष 2020-21 में ट्राइफेड ने जनजातियों से ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के लिए 1330.11 लाख रुपये की सामग्री की खरीद की और 3012.75 लाख रुपये की बिक्री की जिससे करीब पांच लाख वन निवासियों को लाभ हुआ। 2019 में ट्राइब्स इंडिया ने गो ट्राइबल अभियान भी आरंभ किया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, लघु वनोत्पादों की खरीद में भी यह अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही जनजातीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन लाभार्थियों और एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को विपणन की सहायता प्रदान की जा सके।
- जीआई टैग वाले स्वदेशी उत्पादों के साथ इसका दायरा बढ़ रहा है। पिछले एक दशक मे ट्राइफेड ने जनजातीय दस्तकारों के कौशल और उनके उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए कई डिज़ाइनरों की मदद ली। यह ट्राइफूड उत्पादों, आदि महोत्सव, जनजातीय मेलों आदि के माध्यम से जनजातियों के लिए मददगार बन रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय और आदर्श गाँव

- जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर 1999 में हुआ था। यह अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए चलाई जा रही समग्र नीति, योजना और समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। हाल के सालों में जनजातीय कल्याण योजनाओं पर बजट भी काफी बढ़ा है।
- 2022-23 में लघु वनोपजों के लिए एमएसपी और संस्थागत समर्थन जैसी योजनाओं के प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन में समाहित होने के कारण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक नए हेड संस्थागत समर्थन के लिए 499 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।
- जनजातीय विकास योजनाओं में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना काफी अहम है जिसके पांच सालों में यानी 2020-2026 के बीच साकार होने की उम्मीद है। इसकी मदद से 4.22 करोड़ जनजातीय समुदाय या कुल जनजातीय आबादी के 40 फीसदी हिस्से के लाभान्वित होने की संभावना है।
- पहले देश में उन 350 प्रखंडों के विकास के लिए जो मानव विकास संकेतकों में पीछे रहे हैं, 2014 में वनबंधु कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी, बाद में इसे और विस्तृत बना कर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश में 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले 36,428 गावों की पहचान की है। प्रति गाँव करीब 20.38 लाख रुपये की राशि विकास योजनाओं पर व्यय होगी।

आदिवासियों का प्रकृति प्रेम

- आदिवासी यानी मूल निवासी-प्रकृति का रहवासी। पहाड़ों और जंगलों में बसी बस्तियों का निवासी। दुनिया भर में इस शब्द के साथ यही तस्वीर अंतर्मन में आती है कि ऐसा समाज जो जंगलों में रहता चला आया है।
- प्रकृति के बीच रहकर, उसके साथ सामंजस्य बिठाकर वह जैव-संसाधनों का प्राचीन और सच्चा रखवाला होता है। एक आदिवासी कुदरत से जुड़े ज्ञान का युगीन विशेषज्ञ माना जाता है और प्रकृति के मनोनुकूल जीवनशैली का वह एक अभिज्ञ, अद्भुत और अनुभवी साधक होता है।
- इस समाज का जीवन-दर्शन और जंगलों के इन रहवासियों के शाश्वत मूल्यबोध इस बात को बखूबी दर्शाते हैं कि पेड़ों-वनस्पतियों के अलावा अन्य किस्म के प्राकृतिक अवयवों पर आधारित इनका लोकज्ञान अपार और असीमित है। बेशक, इनके समाज की रचना और

उसे बनाए रखने की प्रतिबद्धता इतनी बेमिसाल होती है जो इनकी पहचान के विभिन्न सम्बोधनों में भी इन्हें प्रकृतिजीवी होना बताता है।'

- आदिवासी शब्द का प्रयोग मूलतः उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र के ज्ञात इतिहास से पुराना संबंध रहा है, जो क्षेत्र सदियों से घनघोर जंगलों से आच्छादित रहे हैं। इस इंसानी समूह का इतिहास जंगलों के बढ़ने और समृद्ध होने का इतिहास है।
- यदि आदिवासियों को 'जनजाति', 'वनवासी', 'गिरिजन', 'ऐबोरिजिनल', 'इंडिजिनस', 'देशज' आदि नामों से पुकारते हैं तो इन तमाम शब्दों और सम्बोधनों के अपने तर्क हैं जो कहीं न कहीं से उन्हें जल-जमीन-जंगल और जानवर से भरी सम्पदाओं का सबसे करीबी होना साबित करता है।

इस सम्बन्ध में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आईएलओ) के कन्वेंशन में आदिवासियों के बारे में व्यक्त उस मत का उल्लेख ज़रूरी है जो जंगलों के इन रहवासियों की पूरी आबादी को दो भागों में बाँट कर देखता है।

- **'पहला भाग उन देशावरी लोगों का है जो इंडिजेनस कहे जाते हैं।' इंडिजेनस होना ही ज़मीन से जुड़कर ज्ञान की उन परम्पराओं को समृद्ध करना है जो इनके जीने का आधार भी है और इनकी ताकत भी।**
- **जनजातीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अपने स्वशासन के लिए स्वनाम धन्य है। देश की तमाम मुल्की लड़ाइयों में इसी स्वशासन को लेकर उनकी संवेदनशीलता बार-बार कोल-मुंडा से लेकर दर्जन भर आदिवासी जातियों को उकसाती रही है। क्योंकि आदिवासियों की धारणाएं अपने समाज की मजबूती के जरिए उस मानवता को बरकरार रखने की मंशा रखता है जहाँ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम प्राकृतिक संसाधन जीवंत होते हैं। उनका स्वशासन व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक व्यवस्था है। मतलब उनके समाज में सत्ता व्यक्ति-केंद्रित नहीं होती है। इससे उनके रीति-रिवाज, संस्कृति और भाषा की अस्मिता जुड़ी होती है।'**
- **सामूहिकता आदिवासी समाज की आत्मा है, पूजा का विधान भी सामूहिक है। इनमें व्यक्ति पूजा नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है। विवाह की रस्म में आदिवासी लोग लड़की खरीदते हैं। इनमें पुजारी बनने की भी एक रस्म होती है। वे मुर्गी की पूजा करके उसे छोड़ देते हैं। शाम को वह जिसके घर में घुस जाए, उसी घर का स्वामी तीन साल के लिए पुजारी हो जाता है।**
- **सामाजिक व्यवस्था और इंसानी अस्तित्व के बारे में आईएलओ के कन्वेंशन में व्याख्या है कि 'इन लोगों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को बनाए रखा है, चाहे उनकी कानूनी स्थिति जैसी भी रही हो या वर्तमान में वह स्थिति कुछ भी हो।**
- **इस प्रकार उनकी देशज आस्थाएं, स्वाभिमान और मूल्य ही उनकी पहचान है। दूसरे वर्ग में ट्राइबल पीपुल के तौर पर व्याख्या है। इस वर्ग का नगरीकरण या आधुनिकीकरण से कोई वास्ता नहीं था। यानी राज्य की अवधारणा के तमाम घटकों और गुणकों से वे सब के सब दूर रहे। वे जंगलों के थे, जंगलों में थे और जंगलों के लिए थे। लिहाजा, उनकी जीवनशैली में प्रकृति का खालिसपन आज भी देखने को मिलता है।**
- जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले उन आदिवासियों का अपना साहचर्य से भरा समाज रहा है। एक बेजोड़ सांस्कृतिक मूल्यबोध रहा है। प्राकृतिक अवयवों पर आधारित आर्थिक तंत्र रहा है जो बाद में खेती-पशुपालन और आखेट की एक मिश्रित व्यवस्था में तब्दील हो गया था। यानी 'उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियाँ उन्हें राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों से अलग करती हैं। जिन्हें आज हम आदिवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, जिन्हें वनवासी भी कहा जाता है, उनका समाज अलग किस्म का रहा है। उस समाज के लोकाचार की विधाएँ जंगलों-पहाड़ों और नदियों के साथ समेकित रहीं हैं।
- सामाजिक मान्यताएं, सांस्कृतिक समझ और आस्थाओं से जुड़ी संवेदनाएं किसी अन्य प्रकार की अवधारणाओं को पोसती हुई नज़र आती हैं। उनकी सामाजिक प्रवृत्ति और उनका सांस्कृतिक झुकाव सामूहिकता को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का विश्वास पैदा करने में समर्थ दिखता है।

- सभ्यताओं के विकसित होने के दौर से दूर आदिवासियों ने जिस जीवनबोध पर कायम रहकर ज़िन्दगी को सुखद बनाया किन्तु कहीं भी उपभोग और विलासिता की गुंजाइश नहीं रहने दी।
- संग्रह की संकल्पना और मनोभावों को पूंजी या संपत्ति से कभी नहीं जोड़ा। बल्कि भोजन संग्रह और अनाज जुटाने तक खुद को सीमित रखा था। उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई अपनी वरीयता को लेकर रही, संपत्ति के नाम पर उन्होंने सब को समान समझा।
- जीने का अधिकार हर किसी को है और अपनी शर्तों के साथ हर कोई जीता है। महज मनोरंजन के वक्त बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बीच करम का पेड़ बेहद पवित्र माना जाता है।
- प्रकृति-पूजा जनजातीय समाज का पहला धर्म और सबसे सशक्त पक्ष है। सरना का मतलब ही है प्रकृति पूजा, जिसके अनुसार सरना-धर्म के तीन देवता हैं, पहला इकिर बोंगा जो जल देवता है। दूसरे बुरू बोंगा जो पहाड़ के देवता हैं और तीसरा सिंग बोंगा यानी सूर्य देवता।
- इस प्रकार, आदिवासी लोग पहाड़, नदी और सूर्य की पूजा करते हैं। क्योंकि पहाड़-नदी और सूर्य जनजातीय समाज के अस्तित्व के तीन सूत्रधार हैं। पहाड़ों में जंगत है और जंगलों के वनोपजों से ज़िन्दगी चलती है। जंगलों में शिकार करते हैं। वहीं अपने पूर्वज रहते हैं।
- प्रागैतिहासिक मानव के प्रस्तर-हथियार नदियों के किनारे मिलते रहते हैं। भारत की आदिम सन्यता भी नदियों के किनारे की देन है। नदियों का पानी और जलचर आदिवासी समाज को पोसते रहे हैं।
- भारत की पारम्परिक सिंचाई पद्धति में नदियों के भरोसे इंसानी समाज की निर्भरता के न जाने कितने उदाहरण हैं। सूर्य की आराधना संताल परगना से लेकर सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में देखी जा सकती है।
- गुदना में सूर्य-मछली के अलावा फूलों को भी दर्शाया जाता है। क्योंकि आदिवासियों के जीवन के सार-तत्व यही तीनों हैं। महुआ के माखनी फूल लम्बे समय तक रह जाते हैं। अकाल के दिनों में इस खाकर आदिवासी अपनी ज़िन्दगी बचाते रहे हैं।
- सरई का फूल सफंद रंग का होता है, जो अहिंसा और शांति का भी प्रतीक है। सरई का फूल गुच्छों में खिलता है, आदिवासियों की दरह। दनी समूह में नाचते-गाते हैं।
- साल वृक्षों के उपवन को सरना टोका कहा जाता है। यहाँ प्रकृति की देवी सरना बूढ़ी का निदास माना जाता है और साल वृक्ष के नीचे उसकी पूजा की जाती है। चाहे कोल हों, मुंडा हों या उरांव आदिवासी-इनके बीच सन्देश सम्प्रेषण का उम्दा और सटीक माध्यम साल-सरई के फूल का सांस्कृतिक महत्व है।
- अंग्रेजी शासन में जब भी मुल्की लड़ाईयां हुई, नगाड़े बजाकर एकजुट होने के बदले संताल विद्रोहियों ने साल के फूल भेजकर विद्रोह में एकजुट होने का सन्देश भेजा। बेशक यह इतना पवित्र और पावन फूल है जिसके जरिए भेजे गए सन्देश को पूर्वजों का आदेश माना गया। इस फूल के बिना आदिवासियों का कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। लेकिन जब आपस में दाम्पत्य सम्बन्ध तोड़ना है तो भरी सभा में पत्नी साल के एक पत्ते को अपने दाँतों से फाड़ देती है। इसे सम्बन्ध-विच्छेद समझ लिया जाता है।
- सरहुल के दिन सरना स्थल में बैगा पुजारी धरती माता और सूर्यदेव की पूजा-अर्चना करते हैं। लोकमान्यता यह है कि बरसात आने के पहले यही पूजा पूरी कर आदिवासी खेती-बाड़ी का काम शुरू करता है। वे अच्छी खेती होने और गाँव समाज की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं।
- पाहन राजा नये फल और सात प्रकार की सब्जियों सहजन, कटहल, पुटकल, बड़हर, ककड़ी, कचनार, कोयनार पकाकर, मीठी रोटी पहले धरती मां को चढ़ाते हैं। पूजा के बाद एक दूसरे को सरहुल की बधाई दी जाती है। इसके बाद मांदर की थाप में लोग सरहुल की शोभायात्रा निकालते हैं। उसके अगले दिन तीसरे दिन फूलखोंसी की जाती है।
- युवक अपनी मनपसंद युवती के जूड़े में सरई के फूल खोंसकर अपने प्रेम का इज़हार करता है। चूँकि सरहुल महापर्व में प्रकृति यानी सखुआ वृक्ष की पूजा कर नववर्ष का आरंभ होता है, इसलिए नयी ज़िन्दगी की शुरुआत के तौर पर युवा अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं।
- बंगाल-झारखंड और ओडिशा के संताल-मुंडा और कुडमी जनजातियों के बीच ऐसा ही एक पर्व सोहराय है जो मौसम ओर प्रकृति के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है।

COPYNG@OJAANK.COM

- बादलों की गतिविधियां आदिवासी समाज के लिए आकर्षण भी है, उनका आलम्बन भी है और रहस्य भी है। उनके लिए प्रकृति का सीधा मतलब है धरती के जल-जंगल-जमीन-जन और जानवर इनके ऊपर के नीले आवरण का अनहद फैलाव और उसी फेलाव को नापते सफेद-काले-धूसर बादल होते हैं।

जैव-विविधता वाले घने-घनघोर वनों का विस्तार, औषधियों वाले पेड़-पौधों को आधार देती ऊंची-नीची और समतल धरती इनकी अपनी होती है तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे' की कसमें दोहराई जाती हैं।

- **एक खास संदर्भ यह भी है कि हवाओं की गति, दिशा और बहने का अंदाज आदिवासियों के लोकज्ञान का व्यापक संदर्भ है। वे बादलों के रंग के गहरे जानकार होते हैं।**
- **ये आमतौर पर महत्वपूर्ण धार्मिक अर्थ रखते हैं। शिकार और ना की कटाई से इन्हें मुक्त रखा जाता है। पेड़ों की पूजा और सर तरीके से उन्हें काटने का अनुशासन जनजातीय समाज में मी से है। इस बात को नयी पीढ़ी को समझना होगा।**
- **इस समय की अनगिनत पीढ़ियों ने अपनी सोच, भावनाओं, जीवनशैली का लोकाचार, जीवन-व्यवहार, धर्म, आरथाओं और संस्कारों में प्रकार को केंद्र में रखकर जिस कुदरत को बचाया है, उसे बचाकर रखा हमारा बुनियादी कर्तव्य है।**
- **देश की तकरीबन 10 करोड लाख की जनजातीय आबादी के धर्म का सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष बिल्कुल प्रकृति पर आश्रित है। इनका रहन-सहन, आर्थिक तंत्र, सामाजिक लोकाचार, धार्मिक कर्मकांड, राजनीतिक व्यवस्था और जीवन के तमाम अलौकिक सन्दर्भ प्रकृति के बिना असंभव है। ज़रूरी हैं इन सब को जानना, समझना और किसी हद तक उन्हें अपनाना होगा।**
- **जनजातीय विरासत को उजागर करते वन क्षेत्र के मेले रवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और उसकी एकता को रेखांकित करते हुए इसे 'महामानव समुद्र निरूपित किया था। उनके ध्यान में हिमालय से हिंद महासागर तक और कच्छ से कामरूप तक फैली हमारी जीवनशैली और जीवन दर्शन का इंद्रधनुष था। उन्होंने यहां विविध मौसमों, अलग-अलग कृषि उत्पादों और लोक मान्यताओं की बिखरी हुई छवियों को निहारा था। बहरहाल, भारत की इन्हीं विविधताओं को हम वर्तमान में अलग-अलग स्थान और अलग-अलग समय पर होने वाले मेलों में साकार होते हुए देख सकते हैं।**
- **भारत में अधिकांश मेले मार्च, अप्रैल और मई माह में लगते हैं क्योंकि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कुछ फुर्सत रहती है। इसके विपरीत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में मेले लगभग नहीं आयोजित होते हैं। ये माह वर्षा ऋतु के होते हैं और इस अवधि में किसान खेती के कामों में व्यस्त रहते हैं।**
- 'मेला' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'मेल' शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मिलना या समागम करना। इसीलिए भारत में 'देव दर्शन, उत्सव, खेल, तमाशे के लिए नियत तिथि और निश्चित स्थान पर होने वाले जमावड़े को मेला कहा जाता है।
- भारत यदि उत्सवों का देश है तो उससे बढ़कर रंगारंग मेलों का देश है। ये मेले देश के अलग-अलग क्षेत्रों के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को एक समेकित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन मेलों से उनके संबद्ध क्षेत्रों की अलग-अलग अस्मिता उभर कर आती है।
- आमतौर पर इन मेलों की सबसे पहली पहचान उस क्षेत्र के प्रमुख देवता और तीर्थस्थल से, दूसरी पहचान निश्चित नक्षत्र और तिथि पर होने वाले पर्व से और तीसरी पहचान नदियों और अन्य जलाशयों से, विशेषकर नदियों से संगम के साथ जुड़ी होती है।
- मेलों का महत्वपूर्ण संबंध मौसम और कृषि से भी होता है- खासकर खरीफ और रबी की फसलों के कटने के समय से। इन मेलों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। इस कारण मेले के साथ व्यापार और मनोरंजन की व्यावसायिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर जुड़ जाती हैं।
- ये मेले सामाजिक समागम और पारिवारिक मेल-जोल का बड़ा अवसर उपलब्ध कराते हैं। पिछले कुछ दशकों से इन गेलों में जनसंचार के पारंपरिक और आधुनिक माध्यमों के द्वारा शासन अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर अपने उत्पादों का प्रचार करता है।

- संसार में प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग संस्कृति, परम्परा, नृजातीय पहचान, लोकाचार, धार्मिक मान्यताएं और संसार के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। जनजातियों के मामले में यह दृष्टिकोण और भी अलग होता है। भारत की कोई 8 प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की है।
- भारत के अधिकांश राज्यों में ये जनजातियां निवास करती हैं। पहले इन जनजातियों का सांस्कृतिक कार्यकलाप उनके अपने-अपने वन्य क्षेत्र तक सीमित रहता था। किन्तु अब उनका सांस्कृतिक वैभव अखिल भारतीय रूप से लोकप्रिय और लोकमान्य हो गया है।
- असम के बोडो, अरुणाचल के न्यासी, नगालैंड के नगा, मेघालय के खासी, मध्य प्रदेश के भील, बस्तर के माडिया, तेलंगाना के गौड़ और कर्नाटक के कुरूवा जैसे हर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय की अपनी सांस्कृतिक अस्मिता है जो उनके उत्सवों और मेलों के अवसर पर विशेष रूप से अभिव्यक्त होती है।
- वैविध्य भरे जनजातीय उत्सवों में से कुछ की झलक इस प्रकार है अरुणांचल की न्यासी जनजाति के लोग नव वर्ष के प्रारंभ में न्योकुंभ युलो का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर वे अपने पुरखों को याद करने के लिए विभिन्न कर्मकाण्ड संपन्न करते हैं और उसके साथ ही अपनी परम्पराओं, वेशभूषा, व्यंजनों, लोकनृत्य आदि का पूरे वैभव के साथ प्रदर्शन करते हैं।
- असम की बोडा जनजाति नव वर्ष पर बैसागु पर्व मनाती है। इस दिन पूरे असम में जगह-जगह आनंद मेले आयोजित होते हैं जिनमें देवता की अभ्यर्थना करने के साथ नृत्य, गीत, खान-पान और कला तथा संस्कृति का रंगारंग आयोजन होता है।
- नगालैंड में हॉर्नबिल का उत्सव दिसंबर में मनाया जाता है जिसमें नगा जनजाति के लोग पूरी ऊर्जा और भरपूर आनंद का प्रदर्शन करते है। नगा विरासत का सर्वोत्तम प्रदर्शन इस अवसर पर आयोजित होने वाले सात दिवसीय मेले में देखने को मिलता है।
- खासी समुदाय का पांच दिवसीय उत्सव-मेला नांगक्रेम उत्सव नवंबर माह में होता है। मेघालय की खासी जनजाति भरपूर फसल और अपने लोगों की समृद्धि के लिए यह उत्सव मनाती है।
- राजस्थान के अरावली पर्वत की एक श्रृंखला के मध्य बसे डूंगरपुर में प्रति वर्ष वर्णेश्वर मेला आयोजित होता है। चार दिन तक चलने वाला यह मेला राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले सर्वप्रमुख उत्सव का अवसर होता है। इस अवसर की महत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात के भी भील जनजाति के हज़ारों लोग भाग लेते हैं।

मेले के दौरान तरह-तरह के मनोरंजन के साधनों के अलावा, जादुई तमाशे व करतबों का प्रदर्शन तथा शाम में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

- **मध्य प्रदेश के झाबुआ में भील और भिलाला जनजाति फसल की कटाई पर होली के अवसर पर आयोजित होने वाले भगोरिया मेले में एकत्र होती है। भगोरिया मेले में नृत्य और संगीत के माध्यम से आनंद और प्रेम का अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है।**
- **गुलाल के बादल और रंगों की बौछार एक कल्पना लोक तैयार करते हैं। जनजातीय परिधान, अलंकरण, व्यंजन और उन्मुक्त खिलखिलाहट इस समागम को बेहद आकर्षक बना देती है।**
- **तेलंगाना के गोड़ जनजाति के लोग जतारा उत्सव का आयोजन दिसंबर में करते हैं। इस अवसर पर आयोजित होने वाले मेले में ये लोग मोर के पंख के मुकुट पहनकर गुसादी नृत्य करते हैं। वैसे तो जतारा उत्सव पूरे मध्य क्षेत्र की अलग-अलग जनजातियों द्वारा उनके अपने क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर मनाया जाता है किन्तु तेलंगाना के जतारा का अपना अलग वैभव है।**
- **पूरे भारत में बस्तर के दशहरा मेले की अपनी विशिष्ट पहचान है। यह बस्तर क्षेत्र की जनजातियों का सबसे बड़ा मेला है। दशहरे का उत्सव पूरे देश में नौ दिन मनाया जाता है किन्तु बस्तर में यह 75 दिन तक चलने वाला अनूठा आयोजन है।**
- **दशहरे पर रावण दहन नहीं होता बल्कि बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी की पूजा का महाउत्सव होता है। इस अवसर पर अति विशाल जन-समूह एकत्र होता है और अपनी लोक संस्कृति का श्रेष्ठतम आनंदोत्सव प्रदर्शित करता है।**
- **दशहरे मेले के सिलसिले में मुरिया दरबार का विशेष आयोजन होता है जिसमें बस्तर में बसने वाली जनजातियों के लोग**

एकत्र होकर किसी समय अपने राजा से सीधा संवाद करते थे, लेकिन अब वे यह संवाद शासन के अधिकारियों से करते हैं।

- यह मेला मैसूर के दशहरे मेले और कोलकाता के नवरात्रि मेले से बिलकुल अलग होता है। इस मेले में भारत की जनजाति संस्कृति का श्रेष्ठ रंग और रूप पूरे वैभव के साथ प्रदर्शित होता है।
- छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में मेलों का रंग और रूप अलग ही होता है, जिनसे एक आदिम गंध सुवासित होकर बिखरती है। जनजातीय संस्कृति के अनुरूप उनके मेले धार्मिक-सामाजिक और वाणिज्यिक समागम के आद्य रूप को उजागर करते हैं।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में ये मेले 'मड़ई कहलाते हैं। मड़ई को लेकर पूरे वनांचल में बहुत उत्साह और रोमांच रहता है। घने जंगलों में प्रकृति के निकट जीवन जीने वाले आदिवासियों के लिए ये मड़ई सामाजिक संपर्क के विस्तार और वाणिज्यिक गतिविधि संपन्न करने का विशेष अवसर लेकर आती हैं।
- बस्तर क्षेत्र की इन मड़इयों में नारायणपुर की मावली मड़ई और दंतेवाड़ा की फागुन का विशेष महत्व है। इन दोनों ही मड़इयों में बस्तर के आदिवासी विशाल संख्या में भाग लेते हैं।
- पिछले कुछ दशकों में बस्तर क्षेत्र में आवागमन के साधनों का विस्तार होने और पर्यटन सुविधा उपलब्ध होने के कारण आदिम रंग, रूप और गंध को साकार देखने के लिए देश तथा विदेश के पर्यटक भी इन मड़इयों में बड़ी संख्या में शामिल होने लगे हैं।
- नारायणपुर की मावली मड़ई कोई 800 वर्षों से अधिक समय से आयोजित होती चली आ रही है। इस मड़ई को आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था और विश्वास को प्रदर्शित करने वाली सबसे बड़ी मड़ई का सम्मान प्राप्त है।
- आदिवासी समाज की अपने देवी-देवताओं के प्रति गहरी धार्मिक आस्था होती है और वह मडई माता के नाम से भरने वाली इस मड़ई में बहुत उत्साह और भी से भाग लेता है।
- नारायणपुर के आसपास के आदिवासी इस के शुरू होने के कुछ दिन पहले ही आने लगते हैं और समाप्त होने के कई दिन बाद यहां से जाते हैं। ये आदि जंगल के अंदर से आमतौर पर पैदल चलकर अपने पूरे परिवार सभी लोगों के साथ, खाना पकाने के बर्तन और अपने पारम्प साज-सज्जा का सामान लेकर मड़ई में सम्मिलित होते हैं। वे से क्षेत्र की वनोपज भी एकत्र कर विक्रय के लिए लेकर आते हैं।
- दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई बस्तर के शिलियों और कारीगरों के लिए भी एक आदर्श व्यापार स्थल है। बेलमेटल टेराकोटा, लौह-शिल्प, पाषाण-शिल्प और पारम्परिक वस्त्र तैयार करने वाले शिल्पी और कलाकार यहां अपनी कला का प्रदर्शन कर इनका विक्रय करते हैं।
- सफरी धान से कलात्मक सजावटी वस्तएं बनाने वाले कोटपाड़ (उड़ीसा) के कलाकार भी फागुन मड़ई में पहुंचते हैं। फागुन मड़ई के दौरान विकास प्रदर्शनी के अलावा मीना बाज़ार भी लगता है। यहां विभिन्न झूलों आदि का आनंद ग्रामीण उठाते हैं। दंतेवाड़ा वैसे भी शक्तिपीठ होने के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है और वहां निरंतर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं।
- फागुन मड़ई का अवसर श्रद्धा और आनंद के समन्वय का अवसर होता है। इस कारण न केवल भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों से बल्कि विदेशों से पर्यटक बड़ी संख्या में इस मड़ई में सम्मिलित होने के लिए आते है।
- समग्रतः पूरे भारत में आदिवासी क्षेत्र में मेले उनकी संस्कृति से साक्षात्कार कराते हैं तो वे उनके सामाजिक समागम और वाणिज्यिक व्यवहार का भी परिचय देते हैं। इन मेलों में आदिवासी नृत्यों और संगीत की आदिम धुन और उसकी मोहकता पूरे वैभव में साकार होती है।

COPYOJAANK.COM

हिंदी साहित्य

द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा

प्रख्यात लेखक एवं पूर्व BBC पत्रकार

निबंध मंजूषा McGraw Hill

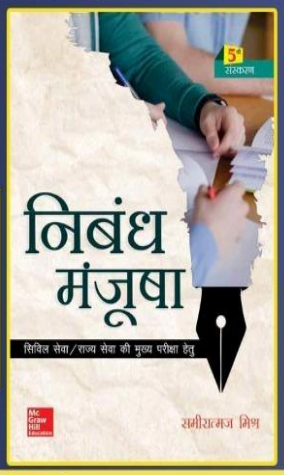

Ojaank Sir

द्वारा : श्री समीरात्मज मिश्रा

बम्पर ऑफर

कक्षा कार्यक्रम- ~~45,000~~ 30,000/-

Live/Online Fees- ~~40,000~~

प्रथम 100 छात्रों के लिए 30,000/-

www.ojaankedu.com

Live On ojaankEDU APP

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar, Old Rajinder Nagar, New Delhi.

8750711100/22/33/44
7678528990

1YEAR COMPLETE

YOJANA & Kurukshetra

Discount Fee- ~~2000/-~~ 1500/

Recorded Class

Limited Offer

UPSC CSE 2021-2022
AIR-1 (SHRUTI SHARMA)

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet, Near
Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.

www.ojaankedu.com | Google Play | App Store | 8750711100/22/33/44, 76785 28990

इतिहास

SPECIAL OFFER

वैकल्पिक विषय

निर्देश भारद्वाज सर के द्वारा

Classroom Fees - ~~45,000~~ 30,000/-

Online/ Live - ~~40,000~~ 30,000/-

LIVE ON ojaankEDU APP

ऑनलाइन/कक्षा कार्यक्रम

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweet
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar
New Delhi.

www.ojaankedu.com

8750711100/22/33/44, 7678528990

Our Topper (Air-1)
Optional History

SOCIOLOGY OPTIONAL

By Ankur Aggarwal Sir

BUMPER OFFER

FEE Discount For 100 Students

Classroom Fees - ~~45,000~~ 30,000/-

Online/ Live - ~~40,000~~ 30,000/-

Online/Classroom

UPSC CSE 2021-2022
AIR-1(SHRUTI SHARMA)

18/4, 3rd Floor Opposite Aggarwal Sweets
Near Gol Chakkar Old Rajinder Nagar, New Delhi.

8750711100/22/33/44, 7678528990 | www.ojaankedu.com

TARGET UPSC PRELIMS (GS) 2023

एक बार TRY तो बनता है

आज का ऑफर

SCAN THE QR CODE TO PAY

Offer Valid 28-09-22

रात 12 बजे तक

UPSC 2021
AIR-1
SHRUTI SHARMA

₹99/- Only

Online/ Live Bilingual

Batch Start From
15 Nov 2022

www.ojaankedu.com

8750711100/22/33/44, 7678528990

OJAANK IAS ACADEMY

ADVANCE NCERT PRELIMS TEST SERIES

Was ~~2999/-~~ 499/-

OUR TOPPERS

87-50-7-111-00/22/33/44, 76-785-289-90

Website : www.ojaankedu.com

REGISTER NOW